भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1275

दिनांक 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कॉफी तथा रबड़ बोर्ड का कामकाज

1275. श्री अमरा रामः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मसालों, चाय एवं कॉफी तथा रबड़ बोर्ड के कामकाज की समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार की निर्यात-आयात नीति के प्रतिकूल प्रभाव से सभी किसान उत्पादकों को किस प्रकार बचाया जा सकता है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): बागान बोर्डों (चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड और मसाला बोर्ड) का मूल्यांकन अध्ययन विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग द्वारा किए गए और रिपोर्ट वर्ष 2023 में प्रस्तुत की गई। इन रिपोर्टों में दिए गए सुझाव/सिफारिशों पर वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए बागान बोर्डों की योजनाओं के अंतिम रूप देते समय उचित रूप से विचार किया गया।

(ख): बागान बोर्ड सरकार की निर्यात-आयात नीति के लिए इनपुट प्रदान करते समय उत्पादकों सहित विभिन्न हितधारकों से परामर्श करते हैं और इन फसलों के मामले में इन नीतियों के किसी प्रतिकूल प्रभाव की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

*****